

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in

दूरभाष नं.-0141-2722520

क्रमांक : प.8(31) प.आ./ RSMSSB /कनि.अनु./ 2016/1239

दिनांक : 07-09-2016

विज्ञप्ति


राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 05/2016 (पत्रांक 336 दिनांक: 26.07.2016) के क्रम में कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण), राजस्थान के कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित सीधी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन दिनांक: 18.09.2016 (रविवार) को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के मध्य किया जावेगा :-

1. कनिष्ठ अनुदेशक (ट्रेवल एण्ड टूरिज्म सर्विसेज)
 2. कनिष्ठ अनुदेशक (रिटेल सर्विसेज)
 3. कनिष्ठ अनुदेशक (हॉस्पिटेलिटी ऑपरेशन-फ्रंट ऑफिस)
 4. कनिष्ठ अनुदेशक (हॉस्पिटेलिटी ऑपरेशन-हाउस कीपिंग)
 5. कनिष्ठ अनुदेशक (फूड एण्ड बेवरेज सर्विसेज)
 6. कनिष्ठ अनुदेशक (वेस्टर्न कुल्नेरी आर्ट)
2. "प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांक: 12.09.2016 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से डाक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
 3. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
 4. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
 5. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से एक घण्टा 30 मिनट पूर्व अपनी उपस्थिति देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें।
 6. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी.कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक एवं उसकी फोटो प्रति और **2.5cm×2.5cm** साईज का नवीनतम एक रंगीन फोटो, एक नीली स्याही का पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। उक्त सामग्री के अलावा अन्य सामग्री के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 7. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
 8. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।

.....2/-

9. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्युमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, तख्ती/पैड/गत्ता, पेनड्राइव, रबर, लॉगटेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
10. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू की गयी है:-
- (1) पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आ सकेंगे।
 - (2) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आ सकेंगी एवं बालों में साधारण रबड बैंड लगा कर ही आ सकेंगी।
 - (3) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ी बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
 - (4) परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।
 - (5) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
11. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. ऐसे विशेषयोग्यजन जिन्हें नियमों में श्रुतलेखक देय है, तो वे परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ अनुरोध करें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
13. परीक्षा के समस्त प्रश्न पत्र केवल इंगलिश भाषा में ही होंगे।
14. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र / उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/- (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
15. परीक्षा केन्द्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, से सम्पर्क किया जा सकता है।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।


(प्रदीप कुमार बोरड़)
सचिव